## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 08/2021

| प्रार्थी– | *बनाम* | अप्रार्थी– |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये<br>खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर | | ओम प्रकाश पुत्र उत्तम चंद जाति खत्री निवासी खत्रियों का निचला वास बाड़मेर (मैसर्स हिंगलाज मिष्ठान भण्डार, रीको एरिया, बाड़मेर) |

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री जितेन्द्र खत्री, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

### आदेश

दिनाँक : 11.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स हिंगलाज मिष्ठान भण्डार, रीको एरिया, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनाँक **08.11.2020** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** जो कि एक बर्तन में 5 कि0ग्रा0 भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **250–250 ग्राम कुल 01 कि0ग्रा0 पनीर (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1272** अंकित कर इसकी जाँच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र खत्री उपस्थित। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह उक्त प्रकरण में उसके विरूद्ध लगाए गए जुर्म स्वेच्छा से एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होना प्रकट करते हुए यह भी निवेदन किया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है लिहाजा उसके विरूद्ध नरम दृष्टिकोण रखते हुए माफी प्रदान करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट दिनांक **15.12.2020** में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वेच्छा से एवं लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ की विश्लेषण में मिल्क फैट कन्टेन्ट ऑफ द ड्राई मैटर बेसिस के आँकडे निर्धारित न्यूनतम मानक 50.0% के मुकाबले 39.08% पाया गया है। यह अन्तर मानक स्तर से कम है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की गई है, लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के तहत दोष प्रमाणित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 5,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **11.01.2022** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

**(ओम प्रकाश बिश्नोई)**
**न्याय निर्णय अधिकारी एवं**
**अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर**
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested